

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक— प्र06—विविध—20/2013(खंड) 5115 /खाद्य, पटना/दिनांक 29/11/2021

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत माह जनवरी, 2022 हेतु खाद्यान्न का संशोधित मासिक उपावंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्रांक— No.1-4/2019-BP.III(e-368491) दिनांक—16.11.2021 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के लाभुकों हेतु खाद्यान्न का निम्नवत् संशोधित मासिक आवंटन प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)।

गेहूँ — 183473.157 मे0 टन
चावल — 275209.736 मे0 टन
कुल — 458682.893 मे0 टन

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों हेतु प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल की दर से कुल 5 किलोग्राम की दर से माह जनवरी, 2022 हेतु जिलावार तालिका के अनुसार खाद्यान्न का संशोधित मासिक आवंटन निम्नवत् किया जाता है :-

मात्रा विवंटल में

क्र०	जिला	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	अन्त्योदय परिवारों हेतु 35 किलो प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न का आवंटन	भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में पूर्विकताप्राप्त श्रेणी अन्तर्गत माह जनवरी, 2022 हेतु खाद्यान्न का संशोधित आवंटन			कुल खाद्यान्न (4+8)
				खाद्यान्न का संशोधित आवंटन (2 किलो गेहूँ एवं 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति की दर से)			
				गेहूँ	चावल	कुल	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	प० चम्पारण	118848	41596.80	54130.90	81196.36	135327.26	176924.06
2	पूर्वी चम्पारण	140757	49264.95	74735.40	112103.09	186838.49	236103.44
3	शिवहर	14008	4902.80	10375.48	15563.22	25938.70	30841.50
4	सीतामढ़ी	76077	26626.95	53770.62	80655.93	134426.54	161053.49
5	मधुबनी	153989	53896.15	66583.52	99875.28	166458.80	220354.95
6	सुपौल	52761	18466.35	35471.59	53207.38	88678.97	107145.32
7	अररिया	74530	26085.50	49312.09	73968.13	123280.22	149365.72
8	किशनगंज	65105	22786.75	24765.87	37148.80	61914.67	84701.42
9	पूर्णिमा	65565	22947.75	53642.80	80464.19	134106.99	157054.74
10	कटिहार	54078	18927.30	50528.33	75792.50	126320.83	145248.13
11	मधेपुरा	40674	14235.90	32476.41	48714.62	81191.03	95426.93

क्र०	जिला	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	अन्त्योदय परिवारों हेतु 35 किलो प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न का आवंटन	भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में पूर्विकताप्राप्त श्रेणी अन्तर्गत माह जनवरी, 2022 हेतु खाद्यान्न का संशोधित आवंटन			कुल खाद्यान्न (4+8)
				खाद्यान्न का संशोधित आवंटन (2 किलो गेहूँ एवं 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति की दर से)			
				गेहूँ	चावल	कुल	
1	2	3	4	6	7	8	9
12	सहरसा	39077	13676.95	32194.76	48292.14	80486.91	94163.86
13	दरभंगा	92388	32335.80	67217.66	100826.49	168044.15	200379.95
14	मुजफ्फरपुर	140512	49179.20	66169.59	99254.39	165423.98	214603.18
15	गोपालगंज	63929	22375.15	29309.32	43963.98	73273.31	95648.46
16	सिवान	53831	18840.85	43476.86	65215.29	108692.15	127533.00
17	सारण	100929	35325.15	45794.50	68691.75	114486.25	149811.40
18	वैशाली	84612	29614.20	52757.15	79135.73	131892.88	161507.08
19	समस्तीपुर	106174	37160.90	69276.41	103914.62	173191.03	210351.93
20	बेगूसराय	74399	26039.65	46301.73	69452.60	115754.33	141793.98
21	खगड़िया	48385	16934.75	27723.30	41584.95	69308.25	86243.00
22	भागलपुर	55855	19549.25	44779.78	67169.67	111949.44	131498.69
23	बाँका	35286	12350.10	32677.18	49015.77	81692.95	94043.05
24	मुँगेर	39165	13707.75	17338.67	26008.00	43346.67	57054.42
25	लखीसराय	15921	5572.35	13731.78	20597.67	34329.44	39901.79
26	शेखपुरा	11958	4185.30	8269.45	12404.18	20673.63	24858.93
27	नालन्दा	85618	29966.30	36121.23	54181.84	90303.07	120269.37
28	पटना	122733	42956.55	81633.02	122449.53	204082.55	247039.10
29	भोजपुर	65786	23025.10	34666.53	51999.80	86666.33	109691.43
30	बक्सर	30446	10656.10	16772.08	25158.12	41930.20	52586.30
31	कैमूर	42979	15042.65	15793.57	23690.36	39483.93	54526.58
32	रोहतास	52493	18372.55	33357.64	50036.46	83394.10	101766.65
33	औरंगाबाद	54827	19189.45	31094.26	46641.39	77735.66	96925.11
34	गया	90111	31538.85	55022.48	82533.72	137556.20	169095.05
35	नवादा	46692	16342.20	30969.56	46454.35	77423.91	93766.11
36	जमुई	48525	16983.75	24898.94	37348.42	62247.36	79231.11
37	जहानाबाद	23820	8337.00	12872.64	19308.95	32181.59	40518.59
38	अरवल	18157	6354.95	8578.46	12867.69	21446.15	27801.10
योग :-		2501000	875350.00	1484591.57	2226887.36	3711478.93	4586828.93

3. पूर्व में निर्गत विभागीय पत्र सं०-2998 दिनांक 29.07.2021 को केवल माह जनवरी, 2022 हेतु इस अंश तक संशोधित समझा जाय। माह जनवरी, 2022 से इतर महीनों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभागीय पत्र सं०-2998 दिनांक 29.07.2021 के अनुसार अगले आदेश तक यथावत् रहेगा। गेहूँ का दर 2/- ₹0 प्रति किलोग्राम एवं चावल का दर 3/- ₹0 प्रति किलोग्राम होगा।

4. भारत सरकार से प्राप्त इस संशोधित खाद्यान्न के मासिक आवंटन में अन्त्योदय श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित खाद्यान्न गेहूँ 35014 मे०टन एवं चावल 52521 मे०टन को यथावत् रखते हुए विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय पत्र सं०-1666 दिनांक 04.03.2014 द्वारा अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत माह मार्च, 2014 से अगले आदेश तक के लिए आवंटित मासिक खाद्यान्न संबंधी आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

5. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जिलान्तर्गत पहचान किये गये पात्र गृहस्थियों को वितरित किये गये वास्तविक राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाय। जिलों में नये राशन कार्ड के निर्गमन एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड के रद्दकरण के आलोक में समय-समय पर आवश्यकतानुसार खाद्यान्न के आवंटन को संशोधित किया जा सकता है। इस आवंटन के आलोक में यदि जिले में अतिरिक्त खाद्यान्न हो तो उसे निश्चित रूप से प्रत्यार्पित कर दिया जाय।

अनुरोध है कि तदनुसार खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाय एवं प्रत्येक माह के उठाव एवं वितरण संबंधी सूचना अन्न वितरण पोर्टल पर अपलोड करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाय।

अनु०:- 02 पन्ने।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र०6-विविध-20/2013(खंड) 5115 /खाद्य, पटना/दिनांक 29/11/2021
प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना एवं महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, अरुणाचल भवन, एकजीविशन रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र०6-विविध-20/2013(खंड) 5115 /खाद्य, पटना/दिनांक 29/11/2021
प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार राज्य खाद्य आयोग/सभी सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना/सभी अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण अधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र०6-विविध-20/2013(खंड) 5115 /खाद्य, पटना/दिनांक 29/11/2021
प्रतिलिपि- श्री सुबोध कुमार, अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

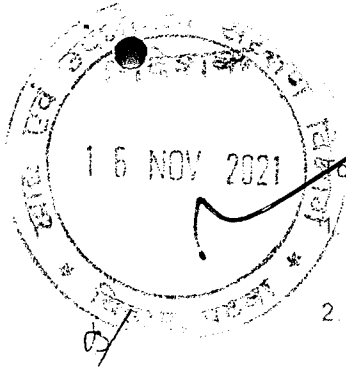
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र०6-विविध-20/2013(खंड) 5115 /खाद्य, पटना/दिनांक 29/11/2021
प्रतिलिपि- अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र०6-विविध-20/2013(खंड) 5115 /खाद्य, पटना/दिनांक 29/11/2021
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।



The Secretary/Pr. Secretary,
(Govt. of States/UTs as mentioned in Column 2 of table)

2. The Chairman-cum-Managing Director,
Food Corporation of India,
New Delhi.

Sub: Revised allocation of foodgrains under NFSA on account of settlement of foodgrains between States/UTs for the period July, 2021 to September, 2021 under national portability i.e. one nation one ration cards-reg.

Sir,

I am directed to say that on account of settlement of foodgrains between States/UTs for the period July, 2021 to September, 2021 under national portability i.e. one nation one ration card as per the details available on central portal i.e. impds.nic.in r/o 8 States as mentioned in Column 2 of below table, it has been decided to revise the allocation of foodgrains to the above mentioned 8 States for the month of January, 2021. Accordingly, the allocation of foodgrains to the above mentioned 8 States for the month of January, 2022 will be as under:

Allocation Category	State	Current monthly allocation (in tons)			Allocation for the month of January, 2022, after adjustment (in tons)			Issue price per kg.	
		Rice	Wheat	Total	Rice	Wheat	Total	Rice	Wheat
AAY/PHH	Andhra Pradesh	154148.030	0	154148.030	154142.530	0.000	154142.530		
	Bihar	276355.023	184236.682	460591.705	275209.736	183473.157	458682.893	3.00	
	Jharkhand	86975.682	57983.788	144959.470	86972.695	57981.796	144954.491		2.00
	Madhya Pradesh	64160.457	192481.373	256641.830	64130.896	192392.689	256523.585		
	Odisha	162215.492	24830.483	187045.975	162208.385	24829.395	187037.780		
	Rajasthan	0	230881.990	230881.990	0.000	230869.684	230869.684		
	Tamil Nadu	191977.983	21330.887	213308.870	191975.292	21330.588	213305.880		
	Uttar Pradesh	329540.275	484103.510	813643.785	328524.717	482611.629	811136.346		

2. Further, there will be no change in allocation of foodgrains under tide over category. Also, for rest of the months, the above States will be allocated foodgrains as per their current monthly allocation under NFSA as mentioned above.

3. The validity period for lifting the above allocation for the month of January, 2022 will be as per the existing instructions conveyed vide this Department's letter No.1-2/2007-BP.III dated 11.07.2014

16/11/2021
696
16/11/2021

591
19/11/2021

4. This issues with the approval of the competent authority.

(128)

Yours faithfully,

Subodh Kumar
(Subodh Kumar)

Under Secretary to Government of India

Phone: 011-23073798

Email: subodh.kum@gov.in

Copy to:-

1. The Chairman-cum-Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi.
2. Economic Adviser (NFSA)
3. ED (Sales) /General Manager (Sales), FCI, New Delhi.
4. The GM, FCI, Regional Offices concerned.
5. The Resident Commissioner, Govt. of States/UTs as mentioned in Column 2 of table.
6. Dir (PD)/Dir (Policy)/Dir(Movt.)/Dir(NFSA)/DS(Finance) /DS(BP).
7. NFSA/BP-I / Py.I /PD.I/PD.II/PD.III/ Movt.I / FC A/c sections
8. NIC, Deptt. of Food & PD with the request to upload this allocation letter on the official website of this Department.
9. Hindi section with the request to provide the translated version of the order in hindi.
10. State file / Guard file.